(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड–3, उप–खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 43/2025–26
दिनांकः 15 अक्तूबर, 2025

विषयः आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय–20 के आइटीसी (एचएस) कोड 08028090 और 20081991 के अंतर्गत आने वाली सुपारी की आयात नीति और नीतिगत शर्त में संशोधन।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के आइटीसी (एचएस) कोड 08028090 और 20081991 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों को शामिल करती हैः–

आइटीससी (एचएस) कोड	विवरण	नीति	नीतिगत शर्त
08028090	सुपारी–––अन्य	प्रतिबंधित	(क) तथापि, आयात मुक्त है यदि प्रति किलोग्राम सीआइएफ मूल्य 351/–रुपए और इससे अधिक है। (ख) तथापि, उक्त न्यूनतम आयात मूल्य 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू), विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों द्वारा आयात तथा अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयात पर लागू नहीं होगी।
20081991	–––अन्यः––––– अन्य भुनी हुई सुपारी और बीज	मुक्त	(क) तथापि, 351/– रु. प्रति किलोग्राम से कम सीआइएफ मूल्य की भुनी हुई सुपारी का आयात **प्रतिबंधित** है। (ख) अन्य सभी भुनी हुई सुपारी और बीजों का आयात मुक्त है। (ग) तथापि, (क) पर उल्लखित न्यूनतम आयात मूल्य 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू), विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाईयों द्वारा भुनी हुई सुपारी का आयात और अग्रिम प्राधिकार–पत्र स्कीम के तहत आयात पर लागू नहीं होगा।

इस अधिसूचना का प्रभावः सीआइएफ 351/– रु. प्रति किलोग्राम से कम मुल्य वाली आइटीसी (एचएस) कोड 20081991 के अंतर्गत आने वाली "भुनी हुई सुपारी" का आयात प्रतिबंधित है।

इसे वाणिज्य एचं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अजय भादू)
अपर सचिव, भारत सरकार
और महानिदेशक विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/89/180/43/एएम–01/पीसी–2[ए]/ई–1256 से जारी)